जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांकः जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 /6300/ 2024 दिनांकः 22 अप्रैल, 2024

पत्रांकः जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 /6300/2024 दिनांकः 22 अप्रैल, 2024

प्रवेश सूचना

शैक्षिक सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित **बी0एस–सी0–कृषि, बी0एफ0ए0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0–ए0आई0, बी0काम0(बैकिंग एण्ड फाइनेंस), बी0ए0एल0एल0बी0 (5 वर्षीय पाठ्यक्रम), बी0एस0डब्लू0, बी0लिब0, एम0ए0–संगीत गायन एवं वादन (तबला), एम0काम0, एम0ए0–समाजशास्त्र, एम0ए0–राजनीति विज्ञान, एम0ए0–अर्थशास्त्र, एम0ए0–हिन्दी, एम0ए0–अंग्रेजी, एम0ए0–प्राचीन इतिहास–संस्कृति एवं पुरातत्व, एम0ए0– मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, एम0ए0 गृह विज्ञान–(मानव विकास),** एवं **(आहार एवं पोषण), एम0ए0–भूगोल, एम0एस0डब्लू0, एम0एस0–सी0(कृषि)–एग्रोनामी, एम0एस0–सी0 (कृषि) –हार्टीकल्चर, एम0एस0–सी0–गणित, एम0एस0–सी0–भौतिक विज्ञान, पी0जी0डी0सी0ए0, पी0जी0 डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड हास्पीटैलिटी मैनेजमेन्ट, पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी, पी0जी0 डिप्लोमा इन गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स, पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन** तथा ***सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित*** **एम0काम0, एम0एड0, एल0एल0बी0, बी0पी0एड0, बी0सी0ए0, बी0एस0–सी0(कृषि), एम0एस0–सी0(कृषि)** एवं **बी0एल0एड0** पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यार्थियों से **दिनांक 23 अप्रैल, 2024 से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।**

पाठ्यक्रमवार शैक्षिक अर्हताएं, उपलब्ध सीटों की संख्या, अन्य विवरण एवं सामान्य नियम विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	आनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	23 अप्रैल, 2024
2	आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	31 मई, 2024
3	विलम्ब शुल्क के साथ आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	08 जून, 2024

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम, उपलब्ध सीट्स एवं शैक्षिक अर्हता

क्र0	पाठ्यक्रमों का विवरण विश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रम	कुल सीट	शैक्षिक अर्हताएँ
(i)	बी0एस–सी0–कृषि	120	इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान / कृषि विषयों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(ii)	एम0ए0 हिन्दी	60	सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
(iii)	एम0ए0 अंग्रेजी	60	
(iv)	एम0ए0 समाजशास्त्र	60	
(v)	एम0ए0 राजनीतिशास्त्र	60	
(vi)	एम0ए0 अर्थशास्त्र*	60	
(vii)	एम0ए0 प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	60	
(viii)	एम0ए0 मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	60	
(ix)	एम0ए0 गृहविज्ञान** (मानव विकास)	30	
(x)	एम0ए0 गृहविज्ञान** (आहार एवं पोषण)	30	
(xi)	एम0ए0 भूगोल	30	
(xii)	मास्टर आफ सोशल वर्क	60	
(xiii)	एम0कॉम0	120	
(xiv)	एम0एस–सी(कृषि)–हार्टीकल्चर	20	(xiii) एवं (xiv) बी0एस–सी0(कृषि) चार वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xv)	एम0एस–सी(कृषि)–एग्रोनामी	20	
(xvi)	एम0एस–सी–गणित	30	बी0एस–सी0 गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xvii)	एम0एस–सी–भौतिक विज्ञान	30	बी0एस–सी0 भौतिक विज्ञान उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xviii)	बी0एफ0ए0	30	इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा चित्रकला के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xix)	बी0बी0ए0	60	इण्टरमीडिएट / 12वीं
(xx)	एम0ए0 गायन	30	स्नातक में संगीत विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xxi)	एम0ए0 तबला	30	
(xxii)	बी०कॉम० (बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स)	120	इण्टरमीडिएट / 12वीं (सम्बन्धित विषय)
(xxiii)	बी०लिब०	60	स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(xxiv)	बी०ए०–एल०एल०बी० (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)	120	इण्टरमीडिएट / 12वीं
(xxv)	बी०एस०डब्लू०	30	इण्टरमीडिएट / 12वीं
(xxvi)	बी०सी०ए०– ए0 आई0'	60	इण्टरमीडिएट / 12वीं (सम्बन्धित विषय)

*** बी0 काम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी एम0ए0 अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।**

**** बी0एस–सी0 जीव विज्ञान उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी एम0ए0 गृहविज्ञान में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।**

(xxvii)	पी0जी0डी0सी0ए0	30	ऐसे स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होनें इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 स्तर पर गणित एक विषय के रूप में पढ़ा हो।
(xxviii)	पी0जी0 डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड हास्पीटेलिटी मैनेजमेन्ट	30	किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण।
(xxix)	पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी	30	
(xxx)	पी0जी0 डिप्लोमा इन गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स	30	
(xxxi)	पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन	30	

सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम			
(i)	एम0एस–सी0 (कृषि) **(क) कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी** **(ख) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान** **(ग) आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन**	 20 20 20	बी0एस–सी0(कृषि) चार वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(ii)	एम0कॉम0	420	बी0कॉम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(iii)	एम0एड0	100	बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(iv)	त्रिवर्षीय एल0एल0बी0	580	स्नातक उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(v)	बी0पी0एड0	100	एन0सी0टी0ई0 के अर्हतानुसार अभ्यर्थी
(vi)	बी0सी0ए0	120	इण्टरमीडिएट/12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा गणित वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(vii)	बी0एससी0 (कृषि)	660	इण्टरमीडिएट/12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान/कृषि विषयों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी
(viii)	बी0एलएड0	200	इण्टरमीडिएट/12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी

नोट:-

1. **उपर्युक्त पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा, परन्तु प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के सापेक्ष डेढ़ गुना से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा, तथा अर्हता परीक्षा की मेरिट के अनुसार सीधे प्रवेश दे दिया जायेगा।**
2. **प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ बाद में घोषित करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जाएगी, अतः नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।**

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

01. एम0ए0, एम0काम0, एम0एससी0 (कृषि) तथा एम0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के सम्बन्धित पाठ्यक्रम से कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार (आब्जेक्टिव टाईप) के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर ओ0एम0आर0 पत्रक पर देना होगा।

02. बी0पी0एड0, बी0सी0ए0, एल0एल0बी0, एम0एस0डब्लू0, एवं बी0एल0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य अध्ययन के कुल 100 वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव टाइप) प्रकार के प्रश्न पूछें जायेगें, जिनका उत्तर ओ0एम0आर0 पत्रक पर देना होगा।

03. बी0एससी0 (कृषि) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर के कृषि एवं विज्ञान के पाठ्यक्रमों से कुल 100 वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव टाइप) प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसमें 25 प्रतिशत सामान्य अध्ययन से तथा शेष 75 प्रतिशत प्रश्न कृषि एवं विज्ञान से पूछे जायेंगे।

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

1. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर दी जायेंगी। अतएव अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
2. ऑनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क रु0 550/- प्रति अभ्यर्थी देय होगा। परन्तु एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांगजनों हेतु शुल्क रू 350/- होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। विलम्ब शुल्क रु0– 100/– देय होगा।
3. अभ्यर्थी जिस विषय/पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होगा, उसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। अभ्यर्थी का अपने आवेदन श्रेणी में ही प्रवेश अनुमन्य होगा, बशर्ते कि वह अर्ह हो तथा मेरिट क्रम में आता हो।
4. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु एक से अधिक (अधिकतम तीन) विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ करना होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरा जायेगा तथा अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
6. उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देश आवेदक को मान्य होंगे।
7. प्रवेश के समय नियमानुसार सीटों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।
8. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्राविधान पूर्णतः लागू होंगे। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों

द्वारा नियमानुसार भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों का प्रवेश कुल निर्धारित सीटों का 5(पांच) प्रतिशत होगा।
10. प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं सभी वांछित प्रमाण पत्र **मूल रूप में** लाना अनिवार्य होगा। टी0सी0/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय मूलरूप में जमा करना होगा। उपर्युक्त के अभाव में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा तथा मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आंमत्रित किया जायेगा।
11. सम्बन्धित विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रदान किये जाने के उपरान्त शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क तीन दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
12. गलत/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लिया गया प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद भी निरस्त कर दिया जायेगा।
13. यदि किसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आवेदन–पत्रों की संख्या डेढ़ गुने से कम होगी तो उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में प्रवेश नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
14. यदि त्रुटिवश किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश–पत्र निर्गत हो जाता है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि अभ्यर्थी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं उसका प्रवेश परीक्षाफल निरस्त कर दे।
15. ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि तथ्य छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
16. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग अथवा अन्य किसी असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर बिना कारण बताये छात्र को परिसर/महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. एक अभ्यर्थी अधिकतम तीन पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है।
18. एम0एससी0 (कृषि) में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एक आवेदन पत्र भरेंगे तथा विषय का आवंटन प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
19. जननायक चन्दशेखर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी किसी अन्य विषय से पुनः एम0ए0 करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

नोट:

1. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम तीन वर्ष का अंतराल अनुमन्य होगा।
2. जिन पाठ्यक्रमों का संचालन दो अथवा दो से अधिक महाविद्यालयों में होता है तो उन पाठ्यक्रमों की ही ऑनलाईन काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी। शेष विषयों/पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश सूची निर्गत करते हुए प्रवेश प्रदान कर दिया जायेगा।

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. अनुसूचित जाति के लिये **21%** , अनुसूचित जन जाति के लिये **02%** तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए **27%** स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

2. **क्षैतिज आरक्षण** (Horizontal Reservation)

(क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं चालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय संघात) के लिए पृथक–पृथक एक प्रतिशत **(1%)** स्थान कुल 04 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता **60%** या **60%** से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ग) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीटों में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा।

(ड़) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. अधिभार (Weightage) **के नियमः**

विवरण	**भारॉंक**
राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तरविश्वविद्यालयीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिभार दिया जायेगा:– 1. एकल प्रतियोगिता 2. समूह प्रतियोगिता 3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तरमहाविद्यालयीय टूर्नामेंट या क्रीडा या खेलकूद प्रतियोगिता	 **15** **10** **10**
नेशनल कैडिट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी 1. नेशनल कैडिट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **या** **2.** नेशनल कैडिट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को **या** **3.** राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को **या** **4.** राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को **या** **5.** राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को **या** **6.** स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स	 **15** **10** **15** **10** **05** **15**

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को **या** **7.** स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को **या** **8.** स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	**10** **10**
1. स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या अविवाहित पुत्री को 2. ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो। 3. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 या होमगार्ड में सेवारत हो या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए) 4. ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तकालशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)	**15**

नोटः

- **अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।**
- **अधिकतम अंक से अधिक अंक नहीं प्रदान किये जाएंगे।**